बिहार सरकार

कृषि विभाग

3/कृ0 बजट–विविध 43/2014 1043 कृ0 पटना दिनांकः 24/2/2015

प्रेषक

रामजी सिंह

सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

संयुक्त कृषि निदेशक (पौ0सं0) बिहार पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य) गया/सहरसा/मुजफ्फरपुर/पाट बिहार पूर्णियाँ/उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र पूर्णियाँ/जिला कृषि पदाधिकारी लखीसराय/उप निदेशक (पौ०सं०) पटना/गया/सहरसा/मुजफ्फरपुर/ दरभंगा / भागलपुर/ सहायक निदेशक (पौ०सं०) पटना/गया/नालन्दा/नवादा/औरंगाबाद/भोजपुर/ रोहतास / सारण/सीवान/गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/वैशाली/सीतामढी/दरभंगा/समस्तीपुर /मधुबनी/बेगुसराय/मुंगेर /भागलपुर/वैशाली/सीतामढी/दरभंगा/समस्तीपुर/मधुबनी/बेगुसराय/मुंगेर /भागलपुर/पू0 चम्पारण/प0चम्पारण/पूर्णिया/ कटिहार/सहरसा।

विषयः–विभागीय अधिसूचना द्वारा सम्परिवर्तित किये गये पदों के निकासी एंव व्ययन पदाधिकारी का कोड यथावत रखते हुए राशि की निकासी के संबंध में।

प्रसंगः–विभागीय पत्रांकः–256 दि0–16.01.2015 एंव महालेखाकार बिहार पटना का पत्रांक टी0 एम0–प्राधि0 पत्र–(14–15) 3422 दिनांक–16.02.2015।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांकः–256 दि0–16.01.2015 को वित्त विभाग के माध्यम से महालेखाकार बिहार को संसूचित किया गया हैं। इसके जवाब में महालेखाकार बिहार का पत्रांक टी0 एम0–प्राधि0 पत्र–(14–15) 3422 दिनांक–16.02.2015 प्राप्त हुआ है। इसके कंडिका–2 में अंकित है कि "वित्त विभाग के पत्रांकः–7355 वि0 (2) दि0–5.10.2007 के आलोक में महालेखाकार कार्यालय से सिर्फ किसी कार्यालय के प्रथम स्थापना के मामले में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का प्राधिकार पत्र निर्गत् किया जा सकता है।" किसी भी कार्यालय में प्रथम स्थापना के मामले में वित्त विभाग का संसूचन/सहमति आवश्यक है।

परन्तु प्रस्तुत मामला प्रथम स्थापना का नहीं है। यह स्थापना पूर्व से चला आ रहा है। केवल इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम में अल्प सम्परिवर्तन किया गया है। इसलिए इसमें महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतएव पूर्व की भांति अपने स्थापना अन्तर्गत राशि की निकासी संबंधित कोषागार से किया जा सकता है। सुविधा हेतु महालेखाकार बिहार पटना का प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न है।

अनु०–यथोक्त

विशवासभाजन

(ह0) 23/02/15

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 1043 /कृ०, पटना, दिनांकः –24/2/2015

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुलग्नक सहित वित्त विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह0) 23/02/15

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\vear -2014\feb 2015\18-02-2015.docx

ज्ञापांक– 1043 /कृ०, पटना, दिनांकः -- 24/2/2015

प्रतिलिपिः– कृषि निदेशक बिहार पटना/सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/ सभी जिला कृषि पदाधिकारी।/ सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी / सभी सहायक निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/सभी सहायक निदेशक (शष्य) बीज बीश्लेषण प्रयोगशाला/ सभी उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/ उप निदेशक (शष्य) प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र मुशहरी (मुजफ्फरपुर)–सह–प्राचार्य/ उप निदेशक (शष्य) शिक्षा, बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) बीज निरिक्षण बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) तेलहन बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) सूचना बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) पाट कृषि निदेशालय बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट बिहार, पूर्णियाँ/ अपर निदेशक (शष्य) कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण)/ सभी सहायक निदेशक, (पौधा संरक्षण)/ उप निदेशक (पौधा संरक्षण)/ संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण)/उप निदेशक (शष्य) कम्पोष्ट बिहार, पटना/सभी सहायक मिट्टी रसायनज्ञ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह0) 24/02/15

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1043 /कृ०, पटना, दिनांकः – 24/2/ 2015

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई–टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल भेजने हेतु प्रेषित।

(ह0) 24/02/15

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\year 2014\feb 2015\18-02-2015.docx

महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

पत्रांक No. टी०एम०-प्राधि० पत्र-(14-15)- 3472
दिनांक Dated 16/02/2015

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

संयुक्त सचिव, सेवा विभाग
पत्र पंजी
19 FEB 2015
संख्या 609
बिहार पटना

विषय:- कृषि विभाग के अधिसूचना द्वारा समपरिवर्तित किये गये पदों के पक्ष में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का प्राधिकार पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 03/कृ0-बजट-विविध-43/2014-266/कृ0 दिनांक 16.05.2014 एवं वित्त विभाग के ज्ञापांक 383 दिनांक 31.07.2014 द्वारा आपके विभागीय अधिसूचना संख्या-2298 दिनांक 27.05.2014 एवं संख्या 3105 दिनांक 31.07.2014 के द्वारा समपरिवर्तित किये गये पदों की सूचना इस कार्यालय को दी गई है ।

इस संबंध में सूचित करना है कि वित्त विभाग के पत्रांक 7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में इस कार्यालय से सिर्फ किसी कार्यालय के प्रथम स्थापना के मामले में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाता है । किसी भी कार्यालय के प्रथम स्थापना के मामले में वित्त विभाग का संसूचन/सहमति आवश्यक है ।

अतः यदि उपरोक्त मामला प्रथम स्थापना से संबंधित है एवं इसमें इस कार्यालय से प्राधिकार पत्र निर्गत करना अपेक्षित है तो सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिनके पक्ष में प्राधिकारी पत्र निर्गत करना है का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित जानकारी वित्त विभाग के माध्यम से इस कार्यालय को दी जाय ताकि अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई की जा सके ।

1. राशि की निकासी हेतु निकासी कोषागार का नाम एवं
2. राशि की निकासी हेतु बजट शीर्ष (विपत्र कोड) का उल्लेख ।

भवदीय,

वरीय/लेखा पदाधिकारी,
बिहार, पटना

19.2.15

p.2